बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सं०सं0–निग/सारा (निगम)–आरोप–71/2025

पटना, दिनांक :– 02.1.26

कार्यालय आदेश–05

रोहतास जिलान्तर्गत रोहतासगढ़ पर्वत पर आकाशीय रज्जू मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से संबंधित मामले में अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना के कार्यालय आदेश सं0–209 दिनांक 26.12.2025 द्वारा इसके जाँच हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना की अध्यक्षता में उप मुख्य अभियंता, योजना अंचल एवं तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल–1 की समिति गठित की गयी। उक्त के आलोक में दिनांक 27.12.2025 को समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर निगम को प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन समर्पित की गयी। अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक–2432 अनु0 दिनांक–27.12.2025 के द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए संबंधित परियोजना अभियंता एवं कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, आरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की अनुशंसा की गयी।

2. प्रश्नगत मामले की विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि रोहतासगढ़ पर्वत पर आकाशीय रज्जू मार्ग के Trial Run के दौरान श्री नुरूल इस्लाम, कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, आरा को स्थल पर उपस्थित रहना चाहिए था, परन्तु इस तरह के Critical कार्य के दौरान उपस्थित नहीं थे। श्री नुरूल इस्लाम का यह कृत्य घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम –3. (1) (i), (ii) एवं (iii), यथा सरकारी सेवक को पूरी शीलनिष्ठा रखना, कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखना तथा ऐसा कोई काम न करना जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो का उल्लंघन है, जिसके लिए वे दोषी है। अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री नुरूल इस्लाम, कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, आरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (1)(क) में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री नुरूल इस्लाम का मुख्यालय अभियंता प्रमुख (मु0) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन की अवधि में श्री नुरूल इस्लाम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–10 के तहत् अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(संजय कुमार सिन्हा)
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH

पटना, दिनांक :–

ज्ञापांक :– निग / सारा(निगम) आरोप–71 / 2025

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना / विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना / अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, पटना / उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03, पथ निर्माण विभाग, पटना / उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा / अवर सचिव, मुख्यालय / लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 / 2 / 3 / 6 / 13 / 14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, **श्री नुरूल इस्लाम, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :– 02/1/26

ज्ञापांक :– निग / सारा(निगम) आरोप–71 / 2025 39(S)

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

02.01.2026

अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH